न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. : 03/2019

अपीलान्ट्स

विकास अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर मुख्यालय मण्डोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. श्री केसाराम पुत्र चौथाराम जाति जटिया निवासी आंगणवा तहसील व जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत सुरपुरा, पंचायत समिति जोधपुर मुख्यालय मंडोर जरिये सरपंच।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या–01 दिनांक 22.09.1990 मिसल संख्या–172/1990–91 जो ग्राम पंचायत सूरपुरा, पंचायत समिति जोधपुर मुख्यालय मण्डोर द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष मे जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत्।

– – –

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री जी0 के0 बोहरा उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री आवड़दान उज्जवल उपस्थित।

–आदेश – दिनांक :23.04.2019

संक्षिप्त में पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर मुख्यालय मण्डोर द्वारा कथित फर्जी पट्टों की जांच करने पर पाया गया कि अप्रार्थी सं0–2 ग्राम पंचायत सुरपुरा, पंचायत समिति जोधपुर (मण्डोर) ने आबादी भूमि विक्रय विधि विरूद्ध एवं नियमों के विरूद्ध कर जरिये पट्टा विलेख नम्बर 01 दिनांक 22.09.1990 जो मिसल संख्या 172/1990–91 अप्रार्थी संख्या 1 श्री केसाराम पुत्र चौथाराम जाति जटिया निवासी आंगणवा, तहसील व जिला जोधपुर के पक्ष में जारी किया गया, को निरस्त कराने के लिए यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत पेश हुई।

यह पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र सर्वप्रथम न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर के यहां पेश हुई। पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत सुरपुरा से मूल अभिलेख भी तलब किया गया। अप्रार्थी–1 की ओर से अधिवक्ता श्री आवड़दान उज्जवल ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत से निम्नलिखित मूल रिकॉर्ड प्राप्त हुआ।

1– पट्टा संख्या 01 दिनांक 22.09.90 की मूल प्रति।

2– पंचायत कार्यवाही बैठक रजिस्टर दिनांक 20.01.1990 से 07.04.1991

उपरोक्त रिकॉर्ड के अलावा अन्य कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर के आदेश क्रमांक/डीएम/रीडर/18/1927 दिनांक 28.12.2018 के द्वारा सुनवाई हेतु मुंतकिल की गई। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 13.03.2019 को सुनी गई।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 05.03.2018 को प्रारम्भिक आपत्तियां और दिनांक 24.12.2018 को लिखित में बहस प्रस्तुत की गई। दिनांक 13.03.2019 को उभयपक्ष के अभिभाषकगण की गुणावगुण पर बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक की प्रारम्भिक आपत्तियां सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रारम्भिक आपत्तियों का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर तथा पंचायत प्रसार अधिकरी पंचायत समिति जोधपुर द्वारा संयुक्त रूप से तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। इस बाबत् वक्त जांच के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं की गई। इस कारण प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य होना बताया। प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 परिसीमा विधि से वर्जित होने के आधार पर पोषणीय नहीं है क्योंकि धारा 137 परिसीमा अधिनियम 1983 के अनुसार जहां सीमा के बारे में कोई प्रावधान नहीं हो वहां 3 वर्ष का प्रावधान लागू होता आया है। प्रस्तुत निगरानी 3 वर्ष के बाद प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नहीं है। निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने बाबत् कोई शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियों के प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में मुख्य आपत्ति निगरानी समय अवधि में प्रस्तुत नहीं की गई। इस बाबत् राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में समय अवधि का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियों का प्रार्थना–पत्र एतद् निरस्त किया जाता है।

प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को ही बहस समझी जाय। प्रार्थीपक्ष की ओर से पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र में अवगत कराया कि लोकायुक्त सचिवालय जयपुर के समक्ष ग्राम आंगणवा में ग्राम पंचायत सुरपुरा के पूर्व सरपंचों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान विधि विरूद्ध एवं नियमों के विरूद्ध जाकर सैकड़ों पट्टे जारी करने की शिकायत पेश होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर के पत्रांक 969 दिनांक 02.03.2016 के सन्दर्भ में विकास अधिकारी, पंचायत समिति जोधपुर (मण्डोर) ने जांच कर जांच रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को प्रेषित की गई। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि अप्रार्थी–2 ग्राम पंचायत सुरपूरा द्वारा मिसल सं0 172/1990–91 के आधार पर अप्रार्थीपक्ष सं0–एक के पक्ष में दिनांक 22.09.1990 को पट्टा विलेख सं. 01 विधि एवं नियमों के विरूद्ध जारी किया गया। आगे यह भी लिखा कि पट्टा बुक नियमानुसार ग्राम पंचायत की मांग के अनुसार संबंधित पंचायत समिति के द्वारा जारी की जाती है, परन्तु इस आलौच्य पट्टा से संबंधित पट्टा रजिस्टर ग्राम पंचायत ने सीधे बाजार से खरीदकर पट्टा विलेख जारी किये गये जो विधि मान्य नहीं हो सकता है। राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 145 के तहत पट्टा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्रय के लिए प्रस्तावित भूमि का सम्पूर्ण विवरण दर्ज कर ऐसी भूमि का नक्शा संलग्न कर आवेदन किया गया, परन्तु फीस जमा कराने की रसीद का अंकन नहीं है। पुनरीक्षण में आगे यह भी बतलाया कि नियम 148 में आपत्तियां आमन्त्रित करना, नियम 149 के तहत प्राप्त आपत्तियां का निपटारा एवं नियम 150 पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने का संकल्प लेकर नियम 152 में विद्यमान बाजार कीमत से शुरू निलामी की कार्यवाही करने का प्रावधान है, जो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 142 के तहत आबादी भूमि के विकास के लिए भूमि का पंचायतीराज विभाग में पदस्थापित नगर आयोजन अधिकारी द्वारा अनुमोदित कराकर विकास योजना के अनुसार नीलामी व आंवटन की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने का प्रावधान है जो ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई। धारा

97, राज. पंचायतीराज अधिनियम के तहत पुनरीक्षण कार्यवाही में परिसीमा बाधित नहीं है तथा आलौच्य पट्टा नियमों एवं विधि विरूद्ध जारी करने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त किया जावे।

अप्रार्थीपक्ष–एक के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस दिनांक 24.12.2018 को प्रस्तुत की तथा दिनांक 13.03.2019 को मौखिक बहस में निवेदन किया कि जिस तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अत्यधिक देरी से पेश किए गए है तथा प्रार्थना–पत्र के समर्थन में देरी माफ करने हेतु कोई प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र पेश नहीं किया गया है। इसलिए पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

रिकोर्ड मेन्टेन करने व पट्टा जारी करने बाबत् कार्यवाही करने का कार्य संबंधित कर्मचारी करते है। जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 1 को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 1 संबंधित भूखण्ड पर अपना आवास बना कर लम्बे समय से रह रहे है, जिनको चिरभोगाधिकार के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो चुका है।

राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम, 1994 की धारा 61 सपठित नियम 166 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अनुसार ग्राम पंचायत के आदेश, आवंटन पट्टा जारी करने के आदेश के विरूद्ध अपील होती है इसलिए अपील का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने के कारण यह पुनरीक्षण याचिका धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पोषणीय नहीं है। इस बाबत् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने डी0 बी0 सिविल स्पेशल अपील (रीट) नम्बर – 108/2006 पन्नालाल वगैरा बनाम श्रीमती सुशीला देवी वगैरा, निर्णय दिनांक 12.02.2008 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किए कि ग्राम पंचायत के पट्टा जारी करने के आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान उपलब्ध है इसीलिए धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पुनरीक्षण याचिका पोषणीय नहीं है इसलिए पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत निगरानी का अध्ययन किया और अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड का भी अवलोकन किया।

अप्रार्थीपक्ष संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक का मुख्य कथन रहा कि निगरानी कालबाधित पट्टा को चुनौती दी गई है चूंकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 61 के तहत पंचायत के किसी आदेश के विरूद्ध 30 दिवस के भीतर पंचायत समिति के समक्ष अपील पेश करने का प्रावधान है, परन्तु आलौच्य पट्टा जारी 1990 में किये जाने से अपील मियाद समाप्त हो चुकी है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में यह भी स्पष्ट किया गया कि "राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर पर, किसी भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियें की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेंगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तद्नुसार आदेश कर सकेगी।"

इस प्रकरण में पटवारी (भू0अ0) ग्राम आगणवा ग्राम पंचायत सुरपूरा तहसील जोधपुर से ग्राम आगणवा के खसरा नम्बर 85 की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 केसाराम पुत्र चौथाराम जटिया को खसरा नं0 85/8 गै0 मु0 आबादी में पट्टा जारी होना बताया तथा जिस खसरे में भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है उसकी तरमीम दिनांक 06.12.2016 को की गई थी जबकि विवादग्रस्त पट्टा विलेख भूमि का राजस्व रेकर्ड में

तरमीम नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 22.09.90 को पट्टा विलेख जारी कर दिया है जो नियम विरूद्ध है।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्ट्रर अनुसार बैठक कार्यवाही दिनांक 07.09.90 ग्राम आगणवा के प्रस्ताव संख्या 4 के अनुसार '' ग्राम आंगणवा के खसरा नं0 85 व 70 के भूखण्डो का पंचो द्वारा सामूहिक मौका निरीक्षण किया जा चुका है। भूमि बाबत् आबादी किसी का भी अतिक्रमण नहीं है। आपत्ति का नोटिस जारी किये जा चुके है परन्तु अन्दर मियाद कोई आपत्ति भी नहीं आई। विक्रय से पूर्व अनूसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग/लघु सीमांत कृषक/भूमिहीन को ग्राम आगंणवा खसरा नं0 85 में निम्न को आवंटित किया जावें। पहले निम्न को निशुल्क आवंटित हो ''। लेकिन पट्टा विलेख संख्या 01 जो केसाराम पुत्र चौथाराम जटिया को दिनांक 22.09.90 को जारी किया गया। वह राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के विपरीत जाकर जारी किया गया है।

राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम–256 के अन्तर्गत क्रय के लिए आवेदन–पत्र मय खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा बनाने के लिए 2/–रूपये सहित देना पड़ता है। दो रूपये दिये या नहीं, स्पष्ट नही हो रहा है।

नियम 260 के तहत नोटिस का जारी कर प्रकाशन किया जाना आवश्यक है जो जारी किया गया लेकिन जो ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पत्रावली उपलब्ध करवाई गई है, उसमें आपत्ति बाबत् नोटिस सलंग्न नहीं है।

नियम–262 (1) के तहत भूमि का निलामी करने का प्रावधान है तथा नियम 264 में निलामी की प्रक्रिया निर्धारित की हुई।

नियम–265 के अन्तर्गत किये गये **नीलाम की पुष्टि** (2) :– निलामी राशि 1000/–रूपये कम होने पर उस क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी को, 1000 से अधिक एवं 5000/– रूपये कम राशि होने पर क्षेत्राधिकार रखने वाली पंचायत समिति एवं 5000/–रूपये अधिक पर 10000/–रूपये से कम राशि होने पर जिला कलक्टर तथा 10000/–रूपये से अधिक राशि होने पर राज्य सरकार के पास पुष्टि के लिए निवेदन किया जाने का प्रावधान है।

नियम–266 के अन्तर्गत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरणः–

(1) पंचायत निम्नलिखित मामलों में, किसी भी आबादी भूमि का निजी बातचीत के द्वारा विक्रय के रूप में हस्तान्तरण कर सकेगीः–

(क) जहां कोई व्यक्ति भूमि पर सत्याभासक (plausible) स्वत्व का दावा रखता हो और नीलामी से उचित कीमत प्राप्त न हो सके,

(ख) जहां ऐसे कारणों से जिन्हें कि अभिलिखित किया जायेगा, पंचायत का यह विचार हो कि नीलाम भूमि के निवर्तन (disposal) का एक सुविधाजनक तरीका नहीं होगा, और

(ग) यदि ऐसा तरीका पंचायत द्वारा, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति के लिए आवश्यक समझा गया है।

(घ) जहां किन्ही व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षो से कम का है, वहां विद्यमान बाजार कीमत का एक तिहाई भाग और जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है, वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित (वसूल) किया जायेगा।

(2) पंचायत, संकल्प द्वारा किसी भी आबादी भूमि को, जिसका कि सम्भावित मूल्य 200/–रूपये से अधिक न हो, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी भी संस्था के पक्ष में, विक्रय के जरिये, उसके लिए कोई भी कीमत वसूल किये बिना, हस्तान्तरित कर सकेगी।

नियम–267 भूमियों का निःशुल्क आवंटन – (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 31 के अधीन, पंचायत सर्किल के भीतर आवास–गृहों के लिए भूमियों का निःशुल्क आवंटन के सम्बन्ध में, राजस्थान टीनेन्सी (गवर्नमेन्ट) रूल्स, 1955 के रूल 8 से 17 तक के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(2) (क) पंचायत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों, ग्रामीण शिल्पियों और भूमिहीन श्रमिकों को, जिनके पास स्वयं के गृह–स्थल/गृह नहीं है तथा उन बाढ पीड़ितों को भी जिनके गृह बह गये है अथवा गृह स्थल बाढ़ के कारण से भविष्य में बसने योग्य नहीं हैं, 150 वर्ग गज तक आबादी भूमि गांव की आबादी में मुफ्त आवंटित कर सकेगी।

नियम–268 में स्पष्ट किया गया है कि नियम 266 के अधीन समस्त हस्तान्तरण तथा नियम 267 के अधीन आवंटन पुष्टि किये जाने के अधीन होगें जैसे कि नियम 265 में प्रावहित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति, जोधपुर मुख्यालय मण्डोर द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 केसाराम पुत्र चौथाराम जाति जटिया ग्राम आगणवा तहसील व जिला जोधपुर को पट्टा विलेख संख्या 01 दिनांक 22.09.90 जो मिसल संख्या 172/90–91 जो ग्राम पंचायत सुरपूरा द्वारा जारी किया गया को एतद् निरस्त किया जाता है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 पुनः पट्टा हासिल करने हेतु आवेदन करे तो विवादग्रस्त भूमि आबादी भूमि सीमा में होने पर राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के प्रावधानों की अक्षरशः पालना करते हुए निस्तारण करें। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। निर्णय प्रति के साथ प्राप्त मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत सूरपूरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।